Indian J. Soc & Pol. 03(01): 2016:69-70 **ISSN 2348-0084 (P)**
ISSN 2455-2127 (O)

भारतीय सन्दर्भ में धर्मनिरपेक्षता

प्रताप सिंह रावत[1]
[1]राजनीति विज्ञान विभाग,राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर

ABSTRACT

धर्मनिरपेक्षता भारतीय जीवन एवं संविधान की एक विशिष्ट विशेषता है, धर्म निरपेक्षता हमारी राष्ट्रीयता का आधार, हमारे जीवन मूल्यों का सारतत्व तथा विभिन्न धर्मो के बीच सदियों से चले आ रहे सहअस्तित्व का निचोड़ है, यह सत्य और अहिंसा, सहिष्णुता और करूणा तथा मानव मात्र की एकता की धारणा के प्रति हमारी निष्ठा से विकसित हुई है। धर्मनिरपेक्षता विविधता में एकता और हमारे देश की गौरवमयी विभिन्नताओं के प्रति हमारे आदर भाव का प्रतीक है, धर्मनिरपेक्षता अन्य सभ्यताओं और संस्कृतियों के सर्वोत्तम् तत्वों के साथ हमारे आत्मविश्वास भरे सम्पर्क की दीर्घ परम्परा का परिणाम है। फिरभी भारत में धर्मनिरपेक्षता को लेकर प्रश्न उठते रहें हैं । प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय सन्दर्भ में धर्मनिरपेक्षता का सैद्धान्तिक व व्यावहारिक विवेचन प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

KEYWORDS : *भारत, धर्म, सेक्युलर, धर्मनिपेक्षता, पंथनिरपेक्षता*

प्राचीन भारत की धर्मसापेक्ष राज व्यवस्था विशेष कर मुगलकाल के धार्मिक राज्य, तदोपरान्त ब्रिटिश शासन की धर्मविभेद पर आधारित राजनीति के अन्तर्गत शासन में एक विशेष धर्म को प्रमुख स्थान दिया गया था, परिणामस्वरूप मुगल काल में अन्य धार्मिक वर्गों के अन्तः करण और विश्वास की स्वतंत्रता को तीव्र आघात पहुँचा, धार्मिक उत्पीड़न ने समाज में घृणा, असन्तोष, आक्रोश, एवं धार्मिक उन्माद को जन्म दिया जिसने अन्ततः मुगलकाल की राष्ट्रव्यापी एकता पर तीव्र प्रहार किया, ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों के द्वारा प्रारम्भ में ईसाईकरण की नीति को अपना कर भारतवासियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कार्य किया, फिर बाद में फूट डालो और शासन करो की नीति अपना कर भारत के दो प्रमुख सम्प्रदायों के बीच धार्मिक विभेद को तीव्र करने का हर सम्भव प्रयास कियसा गया। 1905 बंगाल विभाजन इसी नीति को कार्यान्वित करने का एक प्रयास था, जिसके कारण हिन्दू तथा मुसलमानों में परस्पर घृणा, विद्वेष एवं अलगाव पैदा होने लगा, जिसका चर्मोत्कर्ष 1947 में भारत विभाजन के रूप में सामने आया।

स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता धर्म विशेष को राजनीति के साथ मिश्रित करने के दुष्परिणामों से परिचित थे, वे यह जानते थे कि धार्मिक विभेद ने देश की एकता को आघात पहुँचाया है, भविष्य में नवजात लोकतंत्र की सुदृढ़ नींव समस्त प्रजाजनों के विश्वासों के आधार पर निर्मित करने तथा भारत की धार्मिक विविधता में एकता के तत्व का समावेश करने के लिए उन्होंने परम्पराओं से हटकर भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को अपनाना उचित समझा, यद्धपि मूल संविधान में भारत के लिए धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, किन्तु मूल संविधान में धर्मनिरपेक्षता के विभिन्न प्रावधानों की व्यवस्था होने से भारत राज्य का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। 1976 में 42 वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में भारत को स्पष्ट रूप से धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित करके भारत की धर्मनिरपेक्षता को और अधिक बल प्राप्त हो गया। (जोन्स, 1967) सर्वोच्य न्यायालय की एक सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने 11 मार्च 1993 के निर्णय में धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान की एक मूल अवधरणा तथा संविधान का एक आदर्श एवं लक्ष्य घोषित किया है।

धर्म निरपेक्षता अंग्रजी के सेकुलर (Secular) शब्द का हिन्दी अनुवाद है। सेकुलर शब्द का उदभव यूरोप की धरती पर हुआ है, यूरोप के इतिहास में सेकुलर वाद का जन्म व विकास पवित्र रामन साम्राज्य, के पाखण्ड का विरोध करने तथा पोप की मध्यकालीन निरंकुश धार्मिक सत्ता के विरूद्ध प्रतिक्रियास्वरूप हुआ। पाश्चात्य सेकुलरवाद में यह धारणा प्रचलित है कि नैतिकता, ईश्वर की मान्यता अथवा भावी जीवन की कल्पना पर आधारितन होकर केवल मानव के लौकिक जीवन में उसके कल्याण पर अधारित होनी चाहिए, नैतिक मानदण्डों अथवा आचरण का निर्धारण धर्म से सम्बन्धित न होकर केवल वर्तमान लौकिक जीवन एवं सामाजिक कल्याण से ही सम्बन्धित होना चाहिए। इस प्रकार यूरोप की धर्म निरपेक्षता में ईश्वर तथा धर्म के सम्पूर्ण निषेद्ध का भाव निहित था, इसमें लौकिक जगत के अस्तित्व पर बल देते हुए पारलौकिक जगत की धारणा को पूर्णतया अस्वीकार किया तथा ईश्वर एवं धर्म के स्थान पर मनुष्य और उसके विवेक को महत्व प्रदान किया।(बेंकटरमन, 01) धर्मनिरपेक्षता की उपरोक्त पाश्चात्य

1: Corresponding Author

पृष्ठ–भूमि में भारतीय संविधान के सेकुलर (Secular) शब्द को परिभाषित करना नितान्त अतार्किक है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता की भारतीय परिकल्पना पाश्चात्य सेकुलर वाद की अवधारणा से पूर्णतया भिन्न है, पाश्चात्य सेकुलर वाद धर्म से भिन्न या धर्मेत्तर अथवा पूर्णतया एक लौकिक अवधारणा है, धर्मनिरपेक्षता की यूरोपीय अवधारणा के विपरीत हमारे संविधान के सेकुलर शब्द की व्याख्या भारतीय परम्परा, पुरातन संस्कृति, परिस्थिति और राष्ट्रीय सोच के अनुकूल किये जाने का औचित्य है, भारत को सदियों से आघात्मिक क्षेत्र में विश्व गुरू होने का गौरव प्राप्त रहा है, धर्म हमारे जीवन का अभिन्न अंग होने के कारण भारतीय धर्मनिरपेक्षता में ईश्वर और धर्म के विरोध का भाव निहित नहीं है।

हमारे संविधान में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, इसीलिए देश के प्रमुख पदाधिकारियों को पद ग्रहण करते समय ईश्वर के नाम पर शपथ लेनी पड़ती है। धर्मनिरपेक्ष राज्य सभी धर्मो के अनुयायियों को समान संरक्षण एवं स्वतंत्रता देता है इस प्रकार धर्म के क्षेत्र में राज्य लैसे फेयर (Laise Faire) की नीति अपनाता है, भारतीय संदर्भ में धर्म निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य पंथ या धर्म के विरूद्ध नहीं है, धर्म या पंथ के प्रति राज्य तटस्थ है, यह विविध धर्मो या सप्रदायों के बीच शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व की अवधारणा है, इसका तात्पर्य यह है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है धार्मिक आधार पर राज्य विभिन्न सम्प्रदायों में कोई भेदभाव नहीं करेगा, भारतीय धर्मनिरपेक्षता सर्वधर्म समभाव तथा सर्वधर्म सद्भाव पर आधारित एक व्यापक अवधारणा है, जिसके अन्तगति किसी भी धर्म को संवैधानिक अथवा राजकीय धर्म के रूप में मान्यता न देकर भारत में विद्यमान सभी धर्मो के अस्तित्व एवं उनके महत्व को समान रूप से स्वीकार किया गया हे, भारत राज्य का अपना कोई विशेष धर्म न होकर धार्मिक क्षेत्र में सभी धर्मावलम्बियों को पर्याप्त स्वतंत्रता, समान अधिकार एवं संरक्षण प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारत राज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को स्वीकार किया गया है, इसके अतिरिक्त संविधान के कई महत्वपूर्ण प्रावधानों जैसे अनुच्छेद 5, 14, 15, 16, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 29 एवं 325 से भारत राज्य का धर्मनिरपेक्ष स्परूप स्पष्ट होता है। उपरोक्त सभी प्रावधान जीवन के सभी क्षेत्रों में धार्मिक अथवा पंथ सम्बन्धी भेदभाव का निषेध करते हैं, धार्मिक आधार पर भारत के किसी भी नागरिक अथवा समुदाय को स्वतंत्रता, समानता, अधिकार एवं अन्य सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है।

वस्तुतः भारतीय धर्मनिरपेक्षता की धारणा इस बात पर बल देती हैं कि व्यक्ति न केवल अपने धर्म, प्रत्युत अन्य धर्मों के प्रति भी आदर व सम्मान का भाव बनाये रखे, अपना धार्मिक आचरण इस प्रकार सम्पन्न करें कि अन्य लोगों के धार्मिक आचरण या उनकी धार्मिक भावनाओं को कोई आघात न पहुँच पाये।

धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को अपनाये जाने के बावजूद भी भारतीय समाज धर्मान्धता और साम्प्रदायिकता की समस्या से ग्रसित है, साम्प्रदायिकता एवं जातिवाद हमारी धर्मनिरपेक्षता के मार्ग की सबसे बड़ी बाधाएं हैं।(टाइम्स आफ इण्डिया, 19 अप्रेल 1976) वस्तुस्थिति यह है कि हमने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को तो अपना लिया है, किन्तु धर्मनिरपेक्षता अभी तक भी हमारे सामाजिक जीवन का अंग नहीं बन पायी है, वास्तव में यही वह लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने के लिए हम सबको प्रयत्न करना है, धर्मनिरपेक्षता हमारे राज्य का एक विशिष्ट आदर्श है, इसको वास्तविक एवं व्यवहारिक बनाने के लिए एक जाति और धर्मनिरपेक्ष समाज का निर्माण अति आवश्यक है, जिसमें धार्मिक हठवादिता, रूढ़िवादिता तथा जातीय वैमनस्यता के लिए कोई स्थान न हो, एक धर्म विशेष के अनुयायी दूसरे धर्म के विरूद्ध विषवमन न करें, परस्पर हिंसात्मक गतिविधियों का परित्याग कर एक दूसरें के धर्म स्थानो को अपवित्र करने की चेष्ठा न करें।(कोठारी, 89)

इसके साथ–साथ धर्म स्थानों का दुरूपयोग न होने पाये, यदि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो समाज के अन्य लोग उस दुरूपयोग को रोकने का प्रयास करें आवश्यकता पड़ने पर राज्य स्वयं दण्डशक्ति के माध्यम से ऐसी अनुचित गतिविधियों को नियंत्रित करें, इन सबके अलावा समाज में सभी वर्गों के लोगों को संकुचित धार्मिक मानसिकता का परित्याग कर धर्म को सम्पूर्ण मानवता के व्यापक अर्थ में ग्रहण करना होगा। हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हैं भाई–भाई के पवित्र भाव को स्वयं में पैदा करना तथा भारतीयता की भावना से ओतप्रोत होकर परस्पर स्नेह और सहयोगपूर्ण व्यवहार करना धर्मनिरेपक्षता तथा राष्ट्रीय एकता के हित में होगा, भारत भूमि की पुरातन संस्कृति, श्रेष्ठ सभ्यता एवं गौरवशाली परम्परा को फिर से जागृत करके ही धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श के साथ–साथ जाति और धर्मनिरपेक्ष समाज का निर्माण सम्भव होगा तथा इसी से देश में शान्ति, एकता , खुशहाली, अमनचैन तथा सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

सन्दर्भ

कोठारी, रजनी : *भारतीय सरकार और राजनीति*

जोन्स मॉरिस 1967: *दि गवर्नमेन्ट एण्ड पॉलिटिक्स ऑफ इण्डिया*

Venkataraman; *A Treatise on secular state*

टाइम्स ऑफ इण्डिया, 19 अप्रैल 1976